



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
नामान्तरण जाँच प्रतिवेदन



Duplicate
Copy
May 12, 2020

नामान्तरण मुकदमा संख्या :

78R27 /2019 - 2020

जिला का नाम	जमातारा	अनुमंडल नाम	जमातारा	अंदाज का नाम	जमाताडा	
मौजा का नाम	मौजिजाम	पना नमबर	03	पना नाम	जमातारा	
सेखरोपण नो	58	लेखरोपण तिथि	26/02/2020	परिवर्तन प्रकार	By Sale	
खाला नम्बर	रैयत नाम			वर्ग नो	रकबा	लगान अनुमति
122	विकेला का नाम श्री लक्ष्मी नारायण सिंह,पिता-जमुना सिंह, जति-संथाल, पना-साजिनाराम केला का नाम			वर्ग नो	रकबा	लगान अनुमति
	(SRI RAHUL KUMARसिंह-SRI JAGDAMBI YADAV, जति-....., पता-AT- CHITTARANJAN, S. NO. - 35A, O.NO.- 47/A, PO+PS- CHITTARANJAN, DIST- PASCHIM BURDWAN)			2712D	नामान्तरण पूर्व खाला 0 4 13 0	नामान्तरण पश्चात खाला 0 0 0 नया खाला 0 4 13 0

कर्मचारी रिपोर्ट

खाला नंबर	122	हल्का-49	भग वर्तमान 2 पृष्ठ संख्या	वर्तमान 23
हल्का का नाम	हल्का-49	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह-पिता-जमुना सिंह	जमाबन्दी अंशधारी खाला पत्नी 2 को जिल्ल संख्या	नहीं
वर्ग नंबर	2712D	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह-पिता-जमुना सिंह	यदि आंबंदित भूमि संयुक्त खाला की है तो क्या विकेला/दाता ने अपने अंश को जमीन विक्रय/दान की है नहीं	नहीं
मूल खलिपान रैयत का नाम	जमाबन्दी रैयत का नाम	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह-पिता-जमुना सिंह	मूल रैयत आदिवासी है ?	नहीं
जमाबन्दी रैयत का नाम	जमाबन्दी रैयत का नाम	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह-पिता-जमुना सिंह	क्या जमाबन्दी रैयत आदिवासी है? यदि हाँ तो भू-अंतरण हेतु छो0 ना0 अधि0 की धारा 46 अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता से किस विविध मुकदमा संख्या के द्वारा पूर्वजुमति प्राप्त की गई है ?	नहीं
विकेला/दाता का नाम	जमाबन्दी रैयत से विकेला/दाता का संबंध	SRI LAKSHMI NARAYAN SINGH	आंबंदित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है।	केला
जमाबन्दी रैयत से विकेला/दाता का संबंध	जमाबन्दी रैयत से विकेला/दाता का संबंध	अंश	आंबंदित भूमि को वर्तमान स्थित कृषि/मकान/व्यवसायिक/परती	मकान
जमाबन्दी रैयत से विकेला/दाता का संबंध	जमाबन्दी रैयत से विकेला/दाता का संबंध	अंश	क्या आंबंदित भूमि अनाबाद झारखंड सरकार/बन्दीवस्व/तीव्रभूमि/शीलांग के अंतर्गत पड़ती है	नहीं
जमाबन्दी रैयत से विकेला/दाता का संबंध	जमाबन्दी रैयत से विकेला/दाता का संबंध	अंश	क्या आंबंदित भूमि बासी/गद/भूदान/सिकमी भूमि/वन भूमि के अंतर्गत पड़ता है	नहीं

कर्मचारी का मत

: महाशय, आवेदक श्री राहुल कुमार, पिता- श्री जगदम्बी यादव, सां0- चित्तूरजन, जिला- पश्चिम बर्गवान के द्वारा मौजा मिहिजाम के खाला सं0- 122 के दाग सं0- 2712D , रकबा- 4.13 डी० जमीन उपनिबंधन कार्यालय जामताडा के द्वारा ऑनलाइन नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन के अलोक में सव्यधित राजस्व अभिलेख एवं स्थल जाँच की गयी, विषयगत भूखंड बसोड़ी सह हस्तान्तरणिय योग्य जमीन है, संलग्न केवला दरखावेज, ट्रेस नक्सा एवं शान्ति पूर्ण दखलकार के आधार पर आवेदक के नाम से नामांतरण की स्वीकृति की जा सकती है।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

अंदाज नि. का मत

: महाशय, राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, निबंधित केवला दरखावेज, शान्तिपूर्ण दखल एवं अनापत्ति की अवस्था में नामांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है।

अंदाज नि. का हस्ताक्षर

अंदाज अधिकारी का आदेश

: अभिलेख उपस्थापित, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंदाज निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, प्राप्त प्रतिवेदन को देखा एवं अवलोकन किया जिसमें प्रतिवेदित है की मौजा मिहिजाम के खाला सं0- 122, दाग सं0- 2712D , रकबा- 4.13 डी० जमीन का केवल दरखावेज, ट्रेस नक्सा एवं शान्तिपूर्ण दखल के आधार पर नामांतरण स्वीकृत करने हेतु आवेदक के नाम से जाँच प्रतिवेदन में अनुशंसा की है, अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंदाज निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के नाम से नामांतरण की स्वीकृति की जाती है, यह आदेश राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंदाज निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अंश होगा।

अंदाज अधिकारी का हस्ताक्षर

Signature

(Duplicate Copy):RPTCO251858 12-May-2020

तिथि
May 9 2020

आदेश



अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा मीहीजाम थाना जामतारा

खाता	प्लॉट	रकबा
122	2712/D	0 एकड़,4.13 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI LAKSHMI NARAYAN SINGH	पिता	LATE JAMUNA SINGH

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या/शपथ पत्र 58 दिनांक Feb 26 2020 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री लछमी नारायण सिंह	पिता	जमुना सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

अतः वार्षिक लगान 20रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पंजी ॥ में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by : Asim Bara

अंचलाधिकारी जामतारा